

वन विभाग हरियाणा सरकार

कार्यालय :- वन मण्डल अधिकारी, मोरनी पिंजौर वन मण्डल, पिंजौर
वन परिसर पिंजौर, दूरभाष / फ़ैक्स नं० 01733-230537
e-mail-dfomorni@gmail.com

क्रमांक:-
सेवा में:-

7950

दिनांक:- 09-12-2022

Sh Mukesh Sharma,
#20 Sky Net Enclave, Lohgarh, Zirakpur,
SAS NAGAR, Mohali, Punjab-140603

विषय:-

Diversion of 0.0762 Ha for permission for the Construction of Residential Apartment Set for Living (for Personal Use) in our Private Land having Khewat No. - 391 Khasra No. - 387,388,389,390,391 enclosed under Section 4&5 in Bass - Tikri, Bhoj - Dharti, Tehsil - Morni, Distt. - Panchkula (HR). (FP/HR/Others/151450/2022)

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में वन राजिक अधिकारी, मोरनी ने उनके पत्र क० 454 दिनांक 06.12.2022 द्वारा अवगत करवाया है कि उक्त प्रस्ताव में 0.0762 हैक्टेयर भूमि जोकि पी०एल०पी०ए० 1900 की स्पैसिफिक धारा 4 में बन्द है, उसमें आप द्वारा मकान निर्माण करने के लिये डाईवर्ट करने हेतु किया गया है। वन राजिक अधिकारी, मोरनी ने मौका निरीक्षण करने उपरांत अवगत करवाया है कि मकान में प्रयोग होने वाली भूमि 0.0768 हैक्टेयर है। आप द्वारा 0.0006 हैक्टेयर भूमि को डाईवर्जन एरिया में शामिल नहीं किया गया है। अतः आपको लिखा जाता है कि 0.0768 है० भूमि के अनुसार केस को संशोधित करने का कष्ट करें ताकि आगामी कार्यवाही की जा सके।

वन मण्डल अधिकारी,
मोरनी वन मण्डल,
पिंजौर।

पृ०क०

7951

दिनांक 09-12-2022

एक प्रति वन राजिक अधिकारी, मोरनी को उनके पत्र क० 454 दिनांक 06.12.2022 के संदर्भ में भेजते हुये लिखा जाता है कि आप द्वारा उक्त पत्र के बिन्दू नं० 1 में लिखा गया है कि प्रस्तावित भूमि सुरक्षित वन भूमि है तथा बिन्दू नं० 2 में लिखा है कि प्रस्तावित भूमि पी०एल०पी०ए० 1900 की स्पैसिफिक धारा 4 में बन्द है। अतः स्पष्ट रिपोर्ट उपलब्ध करवायें।

वन मण्डल अधिकारी,
मोरनी वन मण्डल,
पिंजौर।